चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 26.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 26.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में रमजान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा व सुशासन की नीति के 8 वर्ष में होने वाले महत्वपूर्ण कार्यों एवं कल्याणकारी परियोजनाओं के सम्बन्ध में आज दिनांक 26.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में मिशन शक्ति,यूपी 112,महिला पीआरवी,अग्निशमन की टीम को हरी झण्डी दिखाकर जागरुकता रैली को रवाना किया गया।
जागरुकता रैली में सर्वप्रथम मिशन शक्ति अभियान के क्रम में कार/स्कूटी पर महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं के प्रति होने वाले अपराध के सम्बन्ध में जागरुकता का संदेश दिया गया, द्वितीय और तृतीय स्थान पर डायल 112 की पुलिस टीम रही जिसके माध्यम से आमजनमानस को आपातकालीन समय पर पुलिस मदद हेतु डायल 112 का प्रयोग करने का संदेश दिया, साथ ही साथ रैली के माध्यम से जनता के बीच जाकर पुलिस द्वारा किस प्रकार उनका सहयोग हेतु चलाये जा रहे विभिन्न ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन कन्विक्शन जिसके माध्यम से पुलिस मुख्यालय से चिन्हित अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में बताया गया,ऑपरेशन दृष्टि के माध्यम से जनपद के समस्त थानों के चौराहों,बाजारों एवं मिश्रित आबादी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरें लगाये गये है,जिससे अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद तथा बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु साइबर पुलिस टीम द्वारा बचाव हेतु निरन्तर कार्यशालायें व जागरुकता अभियान व साइबर क्राइम हेल्प लाइन नं0 1930 के सम्बन्ध जानकारी दी गयी।
रैली के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल,क्षेत्राधिकारी श्री फहद अली,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह,पीआरओ प्रदीप पाल एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहें।

(4).आज दिनांक 26.03.2025 को उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा व सुशासन की नीति के 08 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल एवं क्षेत्राधिकारी श्री फहद अली की उपस्थिति में पुलिस लाइन सशस्त्र टीम, महिला थाना,साइबर सेल/थाना साइबर क्राइम,यातायात व अग्निशमन टीम द्वारा त्रिदिवसीय मेला कार्यक्रम पुरानी कोतवाली के पास शस्त्र,मिशन शक्ति, साइबर अपराध के सम्बन्ध में जागरूक किया गया । एस0आई0ए0पी0 श्री राकेश कुमार समाधिया,एस0आई0ए0पी0 श्री नन्दलाल वर्मा,मुख्य आरक्षी आर्मोरेर राम महेश तथा आरक्षी हरिचरन मौर्य द्वारा 51 मोर्टार,कार्बाइन मशीन गन, ए0के0 47 राइफल, .38 रिवाल्वर, 9 एम0एम0 ग्लाक पिस्टल, 9एम0एम0 ऑटो पिस्टल, 5.56 इंसास राइफल, 7.62 एस0एल0आर0 राइफल, .303 राइफल नं0 1, एम0पी05 सब मशीन गन, 12 बोर पम्प एक्शन गन, टीयर गैस गन,एण्टी राइट गन, 303 एल0एम0जी0 के बारे में मेले में आये हुए लोगों को विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी।
महिला उ0नि0 श्रीमती गीता सिंह द्वारा महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, चाइल्ड केयर हेल्पलाइन नंबर 1098, गर्भवती महिलाओं एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 108 एंबुलेंस नंबर,साइबर हेल्प लाइन नं0 1930 एवं महिला संबंधी कार्यक्रम कन्या सुमंगला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री विवाह अनुदान योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं अन्य जनकल्याणकारी परियोजनाओ के सम्बन्ध में बताया गया ।
साइबर सेल/थाना साइबर क्राइम टीम आरक्षी प्रशान्त कुमार व आरक्षी शिवम द्वारा सभी छात्र/छात्राओं को *क्या न करें-* के बारे में विधिवत जानकारी दी गयी। 1.किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट विवरण व एटीएम कार्ड नम्बर व पिन नम्बर सी0वी0वी0 तथा ओटीवी नम्बर,एस0एम0एस0 न बताये। 2.एटीएम हमेशा अकेले प्रयोग करने किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें। 3.अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को फोन,ई-मेल,एस0एम0एस0 फेसबुक,व्हाट्सएप पर कभी न दें। 4.आधार कार्ड,पैन कार्ड,राशन कार्ड,नयी सिम लेने के लिए कई बार फिंगर स्कैन न करें। 5.बोनस प्वाइंट,रिवार्ड प्वाइंट,कैशबैक,के0बी0सी0 आदि लुभावने ऑफर के लालच में अपना बैंक डिटेल फोन पर शेयर न करें। 6.किसी प्रकार का रिमोट एप्स जैसे टीम व्यूवर,ऐनी डेक्स आदि किसी के कहने

पर मोबाइल में इनस्टॉल न करें। 7. कम समय में पैसा डबल करने,क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा रिटर्न मिलने जैसे लुभावने स्कीम के लालच में न आयें। 8. फेसबुक,इंस्टाग्राम,ब्लॉग,ट्विटर चैट रूम आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता,फोन नम्बर,जन्मतिथि और जन्म स्थान आदि तथा वर्तमान लोकेशन कभी भी शेयर न करें। 9. पुलिस/साइबर अधिकारी के नाम की काल आने पर आपके बच्चे के द्वारा बलात्कार,किडनैपिंग का केस बता कर या आपके द्वारा पोर्न विडियों देखने का आरोप लगाकर आपसे पैसे की मांग की जाये तो बिलकुल न घबराये, और न ही कोई पैसे भेजें। 10.साइबर अपराध की घटना होने पर टोल फ्री नं0 1930 पर तुरन्त कॉल करें। इसके पश्चात नजदीकी पुलिस स्टेशन और www.cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट करने हेतु बताया गया।

यूपी डायल 112 टीम निरीक्षक श्री शम्भूनाथ मौर्य,उ0नि0 श्री आशुतोष सिंह,आरक्षी शिवा राजावत, आरक्षी सत्यम सिंह,आरक्षी अशोक कुमार,महिला आरक्षी प्रीति सिंह व महिला आरक्षी अकाक्षां सिंह द्वारा आपातकालीन समय पर पुलिस मदद हेतु डायल 112 का प्रयोग करने का संदेश दिया गया।

एफ0एस0एस0ओ0 श्री पवन कुमार त्यागी,एल0एफ0एम0 प्रमोद दुबे,एफ0एम0 आशुतोष पाठक,एफ0एम0 अमित पाण्डेय एफ0एम0 रविन्द्र कुमार द्वारा अग्नि सुरक्षा से बचाव हेतु फायर सिलेण्डलर वाटर एबीसी टाइप व सीओ2 टाइप, ब्रिथिंग होज पाइप,मल्टी परपज ब्रांज,फोम मेकिंग ब्रांज,कटिंग टूल्स,फायर बूट व डांग्री के सम्बन्धित उपायों व उपाय से होने वाली सुरक्षा से होने वाली सावधानियों के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।

यातायात मुख्य आरक्षी मोबिन खान,आरक्षी शंकर लाल,आरक्षी अनुज तिवारी,आरक्षी जागेश्वर व आरक्षी ज्याउद्दीन द्वारा डेसिबल मीटर (ध्वनि मापक यंत्र),पी0ओ0एस0 मशीन,दो पहिया इण्टर सेक्टर (स्पीड रडार गन), हेलमेट सहित सभी उपकरणों की प्रदर्शनी लगायी गयी। मेले में उपस्थित लोगों को वाहन चलाते समय शराब का सेवन, मोबाइल का प्रयोग नही करने तथा चार पहिया वाहन व दो पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट का सदैव प्रयोग करने हेतु अपील किया गया।

(5). उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा व सुशासन की नीति के 8 वर्ष में होने वाले महत्वपूर्ण कार्यों एवं कल्याणकारी परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे तीन दिवसीय जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 26.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल की अध्यक्षता में थाना भरतकूप अन्तर्गत ग्राम रसिन में नशामुक्ति व यातायात सुरक्षा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया तत्पश्चात पुलिस टीम व ग्रामीणों द्वारा नशा मुक्ति व यातायात सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरुकता रैली निकाली गयी। जागरुकता रैली में समस्त ग्रामवासियों को नशा न करने व यातायात नियमों के बारे में बताया गया कि कभी भी दो पहिया वा ाहन चलाते समय बिना हेलमेट के यात्रा न करें,चार पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सील्ट बेल्ट जरुर लगाए,नशे की हालत में वाहन न चलाए बताया गया।

(6). उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा व सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज दिनांक 23.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में थाना मऊ की पुलिस टीम द्वारा बालिका इंटर कॉलेज कस्बा मऊ में महिलाओं/बालिकाओं के प्रति होने वाले अपराध के सम्बन्ध में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के अलावा जागरुकता हेतु चलाए जा रहे अभियानों के बारे में तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076

मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(7). उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा व सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने पर आज दिनांक 26.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में रिजर्व पुलिस लाइन चित्रकूट में जनपद के समस्त थाना के चौकीदारों को साइकिल,टॉर्च व साफा वितरित किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा हरी झण्डी दिखाकर सभी को रवाना किया गया साथ ही सभी चौकीदारों को बताया गया कि अपने-अपने थाना क्षेत्र में क्रियाशील रहकर कार्य करें। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि होने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी को अवगत कराए।
इस दौरान क्षेत्राधिकारी श्री फहद अली,प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण,पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह व अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप मनोज कुमार एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी मो0 आरिफ द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री बृजमोहन द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट श्री राजेन्द्र प्रसाद भारती द्वारा थाना भरतकूप में पंजीकृत मु0अ0सं0 05/2020 धारा 452, 323,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. रणविजय सिंह 2. पप्पू सिंह पुत्रगण भोला सिंह निवासी ग्राम पहरा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 02-02 वर्ष का साधारण कारावास व 2000-2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
संक्षिप्त विवरण -
उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.01.2020 को वादिया श्रीमती पिंकी देवी पत्नी विजय सिंह निवासी पहरा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गई कि अभियुक्त गणों द्वारा वादिया के घर में घुसकर वादिया व वादिया की मां के साथ मारपीट करना मना करने पर जान से मारने कि धमकी देने के सम्बन्ध में थाना भरतकूप में मु0अ0सं0 05/2020 धारा 452,323,506 भादवि0 बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था। मुकदमे की विवेचना उ0नि0 श्री दयालदास द्वारा प्रारम्भ की गयी तथा आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 10.02.2020 को प्रेषित की गयी

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी सुजीत कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर सुश्री खुशबू चन्द्रा द्वारा आज दिनाँक 26.03.2025 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 64/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम के आरोपी अभियुक्त विनोद कुमार पुत्र राम सागर निवासी सुजातपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही हाल पता शास्त्री नगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि व 100/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(10). आज दिनांक 26.03.2025 को उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा व सुशासन की नीति के 08 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी उपजिलाधिकारी कर्वी (आई0ए0एस) सुश्री पूजा साहू की उपस्थिति में 03 दिवसीय मेला जो पुरानी कोतवाली के पास आयोजित किया जा रहा है का भ्रमण किया गया। जिसमें पुलिस लाइन सशस्त्र टीम,महिला थाना,साइबर सेल/थाना साइबर क्राइम,यातायात व अग्निशमन टीम द्वारा स्टॉल लगाए गए है। एस0आई0ए0पी0 श्री राकेश कुमार समाधिया,एस0आई0ए0पी0 श्री नन्दलाल वर्मा,मुख्य आरक्षी आर्मोरेर राम महेश तथा आरक्षी हरिचरन मौर्य द्वारा 51 मोर्टार,कार्बाइन मशीन गन, ए0के0 47 राइफल, .38 रिवाल्वर, 9 एम0एम0 ग्लाक पिस्टल, 9एम0एम0 ऑटो पिस्टल, 5.56 इंसास राइफल, 7.62 एस0एल0आर0 राइफल, .303 राइफल नं0 1, एम0पी05 सब मशीन गन, 12 बोर पम्प एक्शन गन, टीयर गैस गन,एण्टी राइट गन, 303 एल0एम0जी0 के बारे में मेले में आये हुए लोगों को विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी।

महिला उ0नि0 श्रीमती गीता सिंह द्वारा महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, चाइल्ड केयर हेल्पलाइन नंबर 1098, गर्भवती महिलाओं एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 108 एंबुलेंस नंबर,साइबर हेल्प लाइन नं0 1930 एवं महिला संबंधी कार्यक्रम कन्या सुमंगला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री विवाह अनुदान योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं अन्य जनकल्याणकारी परियोजनाओ के सम्बन्ध में बताया गया।

साइबर सेल/थाना साइबर क्राइम टीम आरक्षी प्रशान्त कुमार व आरक्षी शिवम द्वारा सभी छात्र/छात्राओं को क्या न करें-के बारे में विधिवत जानकारी दी गयी। 1.किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट विवरण व एटीएम कार्ड नम्बर व पिन नम्बर सी0वी0वी0 तथा ओटीवी नम्बर,एस0एम0एस0 न बताये। 2.एटीएम हमेशा अकेले प्रयोग करने किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें। 3.अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को फोन,ई-मेल,एस0एम0एस0 फेसबुक,व्हाट्सएप पर कभी न दें। 4.आधार कार्ड,पैन कार्ड,राशन कार्ड,नयी सिम लेने के लिए कई बार फिंगर स्कैन न करें। 5.बोनस प्वाइंट,रिवार्ड प्वाइंट,कैशबैक,के0बी0सी0 आदि लुभावने ऑफर के लालच में अपना बैंक डिटेल फोन पर शेयर न करें। 6.किसी प्रकार का रिमोट एप्स जैसे टीम व्यूवर,ऐनी डेक्स आदि किसी के कहने पर मोबाइल में इनस्टॉल न करें। 7. कम समय में पैसा डबल करने,क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा रिटर्न मिलने जैसे लुभावने स्कीम के लालच में न आयें। 8. फेसबुक,इंस्टाग्राम,ब्लॉग,ट्विटर चैट रूम आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता,फोन नम्बर,जन्मतिथि और जन्म स्थान आदि तथा वर्तमान लोकेशन कभी भी शेयर न करें। 9. पुलिस/साइबर अधिकारी के नाम की काल आने पर आपके बच्चे के द्वारा बलात्कार,किडनैपिंग का केस बता कर या आपके द्वारा पोर्न विडियों देखने का आरोप लगाकर आपसे पैसे की मांग की जाये तो बिलकुल न घबराये, और न ही कोई पैसे भेजें। 10.साइबर अपराध की घटना होने पर टोल फ्री नं0 1930 पर

तुरन्त कॉल करें। इसके पश्चात नजदीकी पुलिस स्टेशन और www.cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट करने हेतु बताया गया।
यूपी डायल 112 टीम निरीक्षक श्री शम्भूनाथ मौर्य,उ0नि0 श्री आशुतोष सिंह,आरक्षी शिवा राजावत, आरक्षी सत्यम सिंह,आरक्षी अशोक कुमार,महिला आरक्षी प्रीति सिंह व महिला आरक्षी अकाक्षां सिंह द्वारा आपातकालीन समय पर पुलिस मदद हेतु डायल 112 का प्रयोग करने का संदेश दिया गया।
एफ0एस0एस0ओ0 श्री पवन कुमार त्यागी,एल0एफ0एम0 प्रमोद दुबे,एफ0एम0 आशुतोष पाठक,एफ0एम0 अमित पाण्डेय एफ0एम0 रविन्द्र कुमार द्वारा अग्नि सुरक्षा से बचाव हेतु फायर सिलेण्डलर वाटर एबीसी टाइप व सीओ2 टाइप, ब्रिथिंग होज पाइप,मल्टी परपज ब्रांज,फोम मेकिंग ब्रांज,कटिंग टूल्स,फायर बूट व डांग्री के सम्बन्धित उपायों व उपाय से होने वाली सुरक्षा से होने वाली सावधानियों के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।
यातायात मुख्य आरक्षी मोबिन खान,आरक्षी शंकर लाल,आरक्षी अनुज तिवारी,आरक्षी जागेश्वर व आरक्षी ज्याउद्दीन द्वारा डेसिबल मीटर (ध्वनि मापक यंत्र),पी0ओ0एस0 मशीन,दो पहिया इण्टर सेक्टर (स्पीड रडार गन), हेलमेट सहित सभी उपकरणों की प्रदर्शनी लगायी गयी। मेले में उपस्थित लोगों को वाहन चलाते समय शराब का सेवन, मोबाइल का प्रयोग नही करने तथा चार पहिया वाहन व दो पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट का सदैव प्रयोग करने हेतु अपील की गयी।

(11). उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा व सुशासन की नीति के 8 वर्ष में होने वाले महत्वपूर्ण कार्यों एवं कल्याणकारी परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे तीन दिवसीय जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 26.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह व उनकी टीम द्वारा कस्बा राजापुर के राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज में छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत जागरुक किया गया। इस दौरान छात्राओं को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के अलावा जागरुकता हेतु चलाए जा रहे अभियानों के बारे में तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(12). उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा व सुशासन की नीति के 8 वर्ष में होने वाले महत्वपूर्ण कार्यों एवं कल्याणकारी परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे तीन दिवसीय जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 26.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जय करन सिंह की अध्यक्षता में थाना रैपुरा अन्तर्गत सी0पी0 गौतम महाविद्यालय में नशामुक्ति व यातायात सुरक्षा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया।इस दौरान नद्वारा स्कूल के बच्चे एवं उनके अभिभावक उपस्थित रहे सभी को नशा न करने व यातायात नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

(13). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती आरती पत्नी रामनारायण निवासी कछारपुरवा लाइन पर माजरा कोलगदहिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि पति रामनारायण पुत्र रामपाल व ससुरालीजन द्वारा प्रार्थिया को गाली गलौज,मारपीट,लड़ाई झगड़ा कर शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना करते हुए दहेज की मांग करने के सम्बन्ध में दिया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी, महिला आरक्षी शिवाग्नी श्रीवास्तव,महिला काउंसलर सुरेशचंद्र अग्रवाल द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में गाली गलौज,मारपीट,लड़ाई झगड़ा कर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना न करने,पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी

2.महिला आरक्षी शिवाग्नी श्रीवास्तव

3. काउंसलर सुरेश चंद्र अग्रवाल

(14). आज दिनाँक 26.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में रमजान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह द्वारा थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह की उपस्थिति में थाना राजापुर के कस्बा राजापुर, मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया क्षेत्राधिकारी राजापुर द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। पैदल गस्त के दौरान सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेंकिग की गयी।